न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांकःकअ / कले.कोर्ट / 2024 / 2542 दिनांक 16/08/2024

निमित्त :–

जिला रसद अधिकारी
अजमेर

विषय :– प्रकरण संख्या 08/2023 उनवान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम श्री हरिराम जाट व अन्य अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के सम्बन्ध में जब्तशुदा 133 सिलेण्डर व वाहन पिकअप संख्या RJ21-GD-1358 के पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगीनामे पर देने/रिलीज किये जाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण संख्या 08/2023 उनवान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम श्री हरिराम जाट व अन्य में न्यायालय हाजा द्वारा जब्तशुदा 133 गैस सिलेण्डर व वाहन पिकअप संख्या RJ21-GD-1358 के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 3 द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, अजमेर में अपील दायर की गई। जिसका दाण्डिक अपील संख्या 26/2023 उनवान हरमाड़ा इण्डेन गैस एजेंसी बनाम राजस्थान सरकार जरिये इसके लोक अभियोजक अजमेर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2024 में अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा 133 सिलेण्डर को तथा वाहन पिकअप वाहन संख्या RJ21-GD-1358 के पंजीकृत स्वामी को अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किये जाने का आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध अपर लोक अभियोजक संख्या–01 अजमेर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील दायर करने की राय प्रेषित की गई जिस हेतु कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्रांक विधि/2024/1380 दिनांक 18.05.2024 से पत्र श्रीमान् शासन सचिव (विधि) विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को अपील/नो–अपील के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया। उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में "वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग, जयपुर के पत्रांक/प.3 (723) विधि/ग्रुप–4/2024 जयपुर दिनांक 31.07.2024 इस आशय से प्राप्त हुआ कि नो अपील का विनिश्चय किया गया हैं।" जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 4034 दिनांक 16.08.2024 हाजा न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रेषित किया गया है कि अप्रार्थी से उचित सुपुर्दगीनामा प्राप्त कर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं जिसकी प्रतिलिपी निगरानीकार/प्रार्थी को भी दी गई हैं। उपरोक्त आदेश की पालना में निगरानीकार–प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक हाजा न्यायालय द्वारा तय सुपुर्दगीनामा 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये मात्र आज दिनांक 16.08.2024 को पेश किया जा चुका हैं।

अतः माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, अजमेर के निर्णय की छायाप्रति भेजकर लेख है कि उपरोक्त जब्तशुदा 133 गैस सिलेण्डर वाहन पिकअप संख्या RJ21-GD-1358 के पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द किये जाने की कार्रवाही करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
निर्णय दिनांक 22.04.2024

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक/सम/2024/2543 दिनांक 16/08/2024

प्रतिलिपी– श्री हरिराम जाट पुत्र सुखदेव जाट निवासी भौज्यावास ग्राम पंचायत तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

आदेशानुसार

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट अजमेर